अर्द्धशा0 परिपत्र संख्या-डीजी-65/2013

देवराज नागर
आईपीएस

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः दिसम्बर 3 ,2013

प्रिय महोदय,

अवगत कराना है कि एक जनपद के एक थाने में एक महिला को, जो कि अपनी गर्भावस्था के अन्तिम चरण में थी, उसके भाई की शिकायत पर पुलिस द्वारा रात्रि में थाने लाकर बाल काटे गये और उसकी पिटाई की गयी। उक्त महिला के प्रकरण में हैबियस कारपस संख्या-118/2013-श्रीमती मंजू बनाम राज कुमार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांकित-29-04-2013 में पुलिस की इस कार्यप्रणाली की निन्दा करते हुए थानाध्यक्ष व पुलिस कर्मियों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के निर्देश दिये हैं। इस प्रकार के प्रकरणों में पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्यवाही पर भी निर्देश दिये गये हैं।

2. मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश को समावेश करते हुए महिला सम्बन्धी प्रकरण में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जा रहे हैंः-

- हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी नाबालिग लड़की के द्वारा विवाह कर लेने पर विवाह स्वतः अवैध नहीं होता है।
- विवाह के किसी भी मामलें में किसी भी व्यक्ति को पुलिस द्वारा बल प्रयोग करके उसकी इच्छा के विरूद्ध कार्य करने पर विवश नहीं किया जायेगा।
- इस प्रकार के विवाह सम्बन्धी विवाद के निदान के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उपाय दिये गये हैं, जैसे कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत दाम्पत्य अधिकार की बहाली (restitution of conjugal rights) का प्राविधान है।
- विवाह सम्बन्धी विवादों को सुलझाने के लिए पुलिस अधिकृत नहीं है। ऐसा करना विधि द्वारा प्रदान की गयी शक्तियों का घोर दुरूपयोग करना है।
- विवाह सम्बन्धी प्रकरणों में पुलिस केवल उन्हीं मामलों में संज्ञान ले सकती है, जिसमें अपराध होना कहा गया है।
- अनैतिक कार्य (immoral act), जिसमें अपराध होना नहीं पाया जाता है, पर प्रतिबन्ध लगाना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पुलिस उस अनैतिक कार्य में लिप्त व्यक्ति को अपनी हिरासत में नहीं ले सकती है तथा न ही हवालात में बन्द कर सकती है।
- यदि कोई स्त्री अपने पति के साथ नहीं जाना चाहती है, तो पुलिस उसे बलपूर्वक उसके साथ न भेजे अन्यथा यह उस स्त्री के संवैधानिक अधिकार का हनन होगा। उसका पति नागरिक कानून (civil law) की सहायता लेने के लिए स्वतंत्र है।
- जब थाने में किसी लड़की के किसी नवयुवक के साथ भाग जाने की सूचना प्राप्त होती है और इस बात के प्रमाण हो कि लड़की 18 वर्ष के ऊपर है और उसने उस युवक से अपनी इच्छा से विवाह कर लिया है, तो ऐसे प्रकरण में धारा 363/366 भादंवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत नहीं किया जायेगा।

- यदि किसी कारण से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचना के दौरान यह साक्ष्य मिलता है कि लड़की 18 वर्ष से ऊपर है और उसने नवयुवक से विवाह अपनी स्वेच्छा से कर लिया है तो विवेचक विवेचना में अन्तिम रिपोर्ट लगाने के लिए तत्काल कदम उठायेगा।
- उपरोक्त दोनों प्रकार के प्रकरणों में पुलिस शीघ्रता से विवाहित नव दम्पत्ति को हर प्रकार से सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करेगी।
- केवल उन्ही परिस्थितियों में जहॉ पुलिस को संदेह का पर्याप्त आधार है कि यद्यपि वयस्क लड़की अपनी इच्छा से विवाह करके या विवाह करने के लिए गई है, परन्तु उसका पति/व्यक्ति उसे देह व्यापार में (human trafficking) में डाल सकता है, पुलिस लड़की को तलाशेगी। परन्तु लड़की मिल जाने पर उसे अभिरक्षा में नहीं लेगी लेकिन उस बात पर यकीन करेगी कि वह संदेह सही है अथवा नहीं। तदोपरान्त उचित कार्यवाही करेगी। दोनों ही दशा में लड़के व उसके परिवार का पूर्ण विवरण अपने पास रखेगी।
- यदि लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की है तो मुकदमा पंजीकृत किया जायेगा। पुलिस शीघ्रता से लड़की को बरामद करेगी और अभियुक्त को गिरफ्तार करेगी। बरामदशुदा लड़की को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर उसका 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान अविलम्ब करायेगी। लड़की के 164 सी0आर0पी0सी0 के बयान कुछ दिनों बाद कराना घोर आपत्तिजनक है। ऐसा करने पर यह निष्कर्ष निकालना कि पुलिस अभिरक्षा में लड़की पर दबाव डालकर उसके बयान प्रभावित कर रही है, अनुचित नहीं होगा। मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार लड़की को सम्बन्धित स्थान, जैसे लड़की के माता-पिता का घर, नारी निकेतन, इत्यादि को भेजेगी।
- यदि लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की है और स्वेच्छा से किसी के साथ भाग कर विवाह करती है तो धारा 366 भादंवि का अपराध नहीं बनता है, मात्र 363 भादंवि का अपराध बनेगा।

2. उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(देवराज नागर) 3-12-13

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(नाम से),
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2.अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0 लखनऊ
3.समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
4.समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

प्रतिलिपि-अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ को uppolice की वेबसाइट पर अपलोड़ कराये जाने हेतु ।